न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/4370/2004/नागौर

अर्जुन सिंह पुत्र पाबूदान सिंह जाति राजपूत निवासी सूंथली तहसील मकराना जिला नागौर

अपीलार्थी

बनाम

1. मांगू सिंह 2.रूप सिंह 3. सायर सिंह 4.मूल सिंह पुत्रगण राम सिंह राजपूत निवासीगण सूंथली तहसील मकराना जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मकराना

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अनिल शर्मा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः26.3.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–9–04 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा

88,188 के अन्तर्गत प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 34बीघा 2 विस्वा के बाबत सहायक कलेक्टर मकराना जिला नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब दावा पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होनें के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर कुल तीन तनकीयात कायम की गई और अपने निर्णय दिनांक 17–1–2001 के द्वारा उक्त वाद को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–9–2004 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि जहां तक धारा 5(43)में परिभाषित टीनेन्सी का प्रश्न है,अपीलार्थी वादी ने यह प्लीड किया है कि पहले जागीरदार को हासिल दिया व बाद में राज्य सरकार को दिया। इसके विपरीत प्रत्यर्थी प्रतिवादी ने यह प्लीड नहीं किया है कि इस भूमि का लगान अदा किया है या करता है। लगान अपीलार्थी ने ही दिया है और यदि नहीं दिया जाना माना जावे तो उससे वसूल किया जा सकता है। इस आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य से यह स्थ्द्ध किया है कि पहले अपीलार्थी के गोद पिता

पाबूदान सिंह का और बाद में अपीलार्थी वादी का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को मानने या न मानने का कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में कोई फाइन्डिंग नहीं दी जबकि उनको अपील को खारिज करते समय समुचित कारण निर्णय में अंकित करना चाहिये था। किन्तु अपीलीय न्यायालय ने केवल आदेश 41 नियम 27जाब्ता दीवानी के आधार पर ही अपील खारिज कर दी। जबकि ज्यादा से ज्यादा आदेश 41नियम 27 जाब्ता दीवानी का ही प्रार्थना पत्र खारिज कर सकते थे किन्तु अपीलीय न्यायालय ने पूरी अपील को ही प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41नियम 31 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की जो कि आदेशात्मक प्रावधान है। अपने कथन के समर्थन में 1997(2)डी एन जे राज.पेज 411 की नजीर पेश करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विस्तृत विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया है और अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को साबित नहीं मानकर खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय की सही रूप से पुष्टि की है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2041–44 प्रदर्श–1 में वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 33 बीघा 8विस्वा मांगू सिंह,रूप सिंह, सायर सिंह,मूल सिंह पिसरान रामसिंह 1/2, अर्जन सिंह पुत्र गणपत राजपूत साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज है। अर्जन सिंह द्वारा यह भूमि सूरजकंवर बेबा धोकल सिंह से क्रय की गई है। अपीलार्थी वादी ने खसरा नम्बर 148 की शेष 1/2 हिस्से की भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1से 4 के नाम खातेदारी दर्ज है,उसका खातेदार होने का दावा किया है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2041 से 2044 में अपीलार्थी वादी द्वारा श्रीमती सूरजकंवर से भूमि क्रय करने पर जो नोट अंकित हुआ है उसमें वादी के पिता का नाम गणपत सिंह दर्ज है। वादी को पाबूदान सिंह के कब्जे काश्त की भूमि कैसे व कब प्राप्त हुई, यह वाद पत्र से स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार वाद वादी स्पष्ट नहीं है। अधिकार अभिलेख जमाबन्दी में कहीं भी वादी अथवा पाबूदान सिंह का नाम दर्ज नहीं है। वादी एवं पाबूदान सिंह के नाम कभी लगान कायम नहीं हुआ तथा उन्होंने लगान अदा किया हो यह भी किसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त विवादग्रस्त आराजी पर वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक से वाद पेश करने की दिनांक तक लगतार कब्जा काश्त होना भी साबित नहीं है। वाद पत्र में वादी ने खसरा नम्बर 148 रकबा 34बीघा 2 विस्वा में से 1/2हिस्से की आराजी की खातेदारी अपने नाम घोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जबकि मौखिक साक्ष्य में उसने 66बीघा भूमि में से 40 बीघा भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है। अन्य गवाहान ने 66 बीघा में से आधी भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होना

कथन किया है। अधिकार अभिलेख जमाबन्दी में खसरा नम्बर 148 का रकबा 33बीघा 8विस्वा अंकित है। इस प्रकार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहा है। जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41नियम 27 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के आधार पर ही अपील खारिज करने का प्रश्न है,वादी ने अपने को पाबूदान सिंह का पुत्र बताकर वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि वादी ने दावे में कहीं पर भी अपने आप को दत्तक पुत्र नहीं लिखा है। इसलिये अपील के स्तर पर वाद में प्लीडिंग के विपरीत गोदनामे को रेकार्ड पर नहीं लेने का जो निर्णय प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पारित किया है वह विधिसम्मत है। विधि अनुसार वादी अपनी प्लीडिंग के विपरीत साक्ष्य पेश नहीं कर सकता है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हम बिना किसी ठोस आधार के द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224 readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not required title by sale deed- Therefore in this scecond appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nuture, till then this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य